उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-8

संख्या- 5/1176आ.न.यो./नौ-8-2013-4(23)आ.न.यो./10

लखनऊ: दिनांक नवम्बर 2013

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित 'जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) तथा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स'(यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) योजनाओं के समरूप राज्य सरकार द्वारा एक लाख से कम की आबादी वाली निकायें और जिनको यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना से आच्छादित नहीं किया गया है, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-5-2008-370 सा/06 दिनांक24 जनवरी,2008 एवं अनुलग्नक के रूप में तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1554/नौ-8-2013-4(23)आ0न0यो0/10 दिनांक 28-05-2013 द्वारा आदर्श नगर योजना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-01-2008 के अनुलग्नक के रूप में वर्णित दिशा निर्देश में उल्लिखित योजना तथा नगरीय निकायों का चयन के बिन्दु संख्या-10 में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पूर्व में विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
योजना तथा नगरीय निकायों का चयन के बिन्दु संख्या-10 में उल्लिखित व्यवस्थाः- आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत चयनित निकायों द्वारा पृथक से राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता खोला जायेगा।	आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत चयनित निकायों द्वारा पृथक से राष्ट्रीय कृत बैंक में बचत बैंक खाता (सेविंग्स बैंक एकाउन्ट) खोला जायेगा। जमा की गयी धनराशि (ऋण को छोड़कर) पर अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2; आदर्श नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-5-2008-370 सा/06 दिनांक24 जनवरी ,2008 एवं उसके अनुलग्नक में जारी वर्णित मार्गदर्शी दिशा-निर्देश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव

संख्या-5/1176आ.न.यो(1)/**नौ-8-2013 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1; प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2; निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास/नियोजन/वित्त विभाग,उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)
7. निदेशक, सूडा,लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. नगर विकास अनुभाग-5/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/9, वित्त (लेखा) अनु0-1
11. संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
12. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in